Order Sheet [Contd] _______ 289/2017 बी.ए

	Case No 209,	/ 201 <i>1</i> 91.5
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	राज्य की ओर से श्री बीचानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरोपी रहमान शाह उपजेल गोहद से पेश। प्रकरण में आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री आर.सी. यादव द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फो० वास्ते नियमित जमानत पेश किया। नकल ए.जी.पी. को दिलाइ गई। अवेदक/आरोपी की ओर से आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फो० नियमित जमानत हेतु प्रथम आवेदनपत्र होना व्यक्त करते हुए निवेदन किया है कि आवेदक को तथाकथित झूठे अपराध में फसा दिया गया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदक को तथाकथित झूठे अपराध में फसा दिया गया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है तथा फिरायादिया/अभियोक्त्री द्वारा आवेदक के विरुद्ध अपने पुलिस व धारा 164 जा.फो. के कथनों में उसे बहलाफुसलाकर ले जाने एवं बलात्कार करने संबंधी कथन नहीं किए है। आवेदक दिनांक 30.04.2017 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक करबा मौ का स्थाई निवासी है उसके फरार होने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इन तर्कों पर अद्यक्षिक वल दिया है कि अभियोक्त्री वपरक है और वह अपनी स्वयं की सहमति से अपने परिवार से परेशान होकर घर से चली गई थी और आरोपी के साथ विवाह कर लिया है, जबिक अभियोक्त्री के परिवार वालों ने सवयं कु सिक्त यह मिथा प्रकरण दर्ज कराया गया है, जबिक फरियादिया ने स्वयं पुलिस अधीक्षक मिण्ड के समक्ष उपरिवार वालों ने साथ के कथन किए है कि उसकी आवेदक से दोस्ती हो गई थी और उसने अपनी मों से कहा था कि वह आवेदक से विवाह नहीं होने दिया। अभियोक्त्री के घारा 164 जा,फो. के अंतर्गत अभिलिखित कथन में अभियोक्त्री के घारा 164 जा,फो. के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में इस आशय के कथन किए है कि उसकी मां और मामू आवेदक से विवाह नहीं होने दिया। अभियोक्त्री के घारा 164 जा,फो. के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में इस आशय के कथन किए है कि उसकी मां और मामू आवेदक से विवाह नहीं होने देवा चाहते थे और उसके घर में बेदक कर दिया, इसकी लिया वान नहीं होने देवा चाले	where necessary
	जाकर शादी की थी और अभियुक्त ने शादी करने के बाद ही उसकी मर्जी से संभोग किया है। पुलिस थाना माँ की ओर से महशर वानो की आयु संबंधी एक्सरे	

रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें अभियोक्त्री महशर वानो को 18 वर्ष से 19 वर्ष के बीच का होना दर्शाया गया है।

अतः प्रकरण में अभियोक्त्री के धारा 161, 164 सी.आर.पी.सी के कथन एवं प्रस्तुत आयु संबंधी रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तृत नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा०फौ० स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। आवेदक / अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि यदि उसकी ओर से न्यायालय की संतुष्टि योग्य 30,000/- (तीस हजार रूपए) रूपए की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत वंधपत्र पेश हो तो उसे प्रतिभूति पर मुक्त किया जावे।

प्रकरण आरोप पर तर्क हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) ए०एस०जे० गोहद

पक्षकार पूर्वानुसार।

प्रकरण में उभय पक्ष के आरोप के संबंध में तर्क श्रवण किए गए।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित होता है कि आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा ३६३ भा०दं०वि० के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने हेत् प्रकरण में पर्याप्त आधार होने से उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया गया, जो कि आरोपी को पढ़कर सुनाया समझाया गया तो उसके द्वारा अपराध अस्वीकार किया तथा धारा २९४ दं.प्र.सं. के तहत अभियोजन की ओर से प्रस्तृत चालान के सम्पूर्ण दस्तावेजों को अस्वीकार कर विचारण की मांग की। इस संबंध में आरोपी का प्रथक से अभिवाक लेखबद्ध किया गया।

्विर देनांक दे
(वीरेन्द्र सिंह राजपूत,
ए.एस.जे. गोहद राज्य की ओर से ट्रायल प्रोग्राम पेश करने हेत् समय चाहा दिया गया प्रकरण अभियोजन की ओर से ट्रायल प्रोग्राम पेश हेतू दिनांक 22.08.2017 को पेश हो।